न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 377/2016 जीसीएमएस **संख्या 2016/00171**

1. श्रीमति गायत्री धर्मपत्नि सांवरमल
2. सीताराम पुत्र स्व. सांवरमल
3. गुलाबचन्द उर्फ कमलकांत पुत्र स्व. सांवरमल
4. श्रीमती गीता पुत्री स्व. सांवरमल पत्नि पवन कुमार समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी कालाडेरा, तह. चौमू जिला जयपुर ।
5. चौथमल पुत्र श्रीनारायण
6. प्रेमचन्द पुत्र श्रीनारायण (दौराने मृतक अपील)
   6/1 श्रीमती सरला देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री प्रेमचन्द शर्मा
   6/2 योगेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द शर्मा
   6/3 प्रियंका शर्मा पुत्री स्व. श्री प्रेमचन्द शर्मा
   6/4 प्रतिभा शर्मा पुत्री स्व. श्री प्रेमचन्द शर्मा
   6/5 विशाल शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द शर्मा
7. भगवती सहाय पुत्र श्रीनारायण
8. संतोष कुमार पुत्र श्रीनारायण
9. प्रेम देवी पत्नि स्व. केदारमल पुत्र श्रीनारायण
10. विनोद कुमार पुत्र केदारमल पौत्र श्रीनारायण

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र धन्नाराम, जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर ।
2. तेजाराम पुत्र किशनाराम
3. प्रभात पुत्र जीवण
4. श्योनारायण पुत्र मूना (मृतक दौराने अपील)
   4/1 श्रीमती बिदामी देवी पत्नि स्वत्र श्री श्योनारायण जाति यादव निवासी—ढाणी खातोदियान की तन कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर—राजस्थान।
   4/2 रामेश्वर
   4/3 सीताराम
   4/4 धन्नाराम
   4/5 राजेन्द्र
   4/6 मंगल समस्त पुत्रान स्व. श्योनारायण जाति यादव निवासीगण ढाणी खातोदियान की तन कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर—राजस्थान ।
   4/7 श्रीमती केसरी देवी पुत्री स्व. श्री श्योनारायण पत्नि श्री मालीराम यादव (सुलतानिया) निवासी—ग्राम मलिकपुरा, तह० रेनवाल, जयपुर।
   4/8 श्रीमती फूली देवी पत्नी श्री रामरतन जटवाल यादव
   4/9 श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि श्री प्रभूदयशल जटवाल यादव
   4/10 श्रीमती गीता पत्नि श्री महादेव जटवाल पुत्रीयान स्व. श्री श्योनारायण जाति यादव, निवासीगण ग्राम हरसोली, तहसील रेनवाल जिला जयपुर
5. रामनारायण पुत्र किशना, जाति अहीर निवासी ग्राम कालाडेरा,तहसील चोमू जिला जयपुर—राज०

संभागीय आयुक्त जयपुर

6. मदनलाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी – कालाडेरा, तह० चौमू जिला जयपुर ।
7. हरिराम पुत्र रामनारायण
8. नानूराम पुत्र रामनारायण
9. गेंदालाल पुत्र रामनारायण
10. धोलूराम पुत्र रामनारायण
11. सांवरमल पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी–कालाडेरा, तह० चौमू जिला जयपुर
12. श्योनारायण पुत्र धन्नाराम जाति ब्राहम्ण निवासी–कालाडेरा, तह० चौमू जिला जयपुर ।
13. रामचन्द्र पुत्र धन्नालाल
14. प्रभात पुत्र धन्ना लाल जाति ब्राहम्ण निवासी – कालाडेरा, तह० चौमू जिला जयपुर ।
15. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू जिला जयपुर

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर चौमू (जयपुर) केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कालाडेरा निर्णय दिनांक 24.06.2016 अंतर्गत मु0 न0 67/2006

उपस्थित–

1. श्री शिवराज शर्मा राठौड वकील अपीलान्ट।
2. श्री सुरेश चाहर वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2, 3, 4/1 से 4/6 व 5 की ओर से
3. श्री सांवरमल शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1, 7 लगायत 14 की ओर से
4. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –14.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के आदेश दिनांक 24.06.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलांटद्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र वाके ग्राम कालाडेरा तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर के संबंध में राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि/इन्द्राज को दुरूस्त करवाने बाबत् पेश किया जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2016को भू प्रबन्ध विभाग के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि का सुधार धारा 136 के परास में नहीं मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये।

3. उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 24.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमति गायत्री धर्मपत्नि सांवरमल वगै0 द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवंअपीलाधीन

आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर दिनांक 24.06.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्त न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने के पूर्व पत्रावली पर लिखित आदेशिकाओ पर कतई न्यायिक विचार व मनन नही करने मे भारी न्यायिक व कानूनी भूल की है प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी संख्या–1 सांवरमल का स्वर्गवास हो जाने पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र कायम मुकामी आदेश आदेशिका दिनांक 02.09.2015 के द्वारा स्वीकार किया गया था तथा पत्रावली में संशोधित शीर्षक पेश होने हेतु तारीख पेशी दिनांक 24.06.2016 नियत थी, इसकी पूर्ति हुए बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील फरमाया हैप्रार्थीगण को प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई तारीख दिनांक 24.06.2016 को कालाडेरा ग्राम पंचायत पर होने के सम्बन्ध में मान्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सूचना नही दी थी एवं अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।अधिनस्थ न्यायालय की यह न्यायिक धारणा की धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विशुद्ध रूप से वार्षिक रजिस्टर मे होने वाली लिपिकीय भूल / त्रुटि के सुधार तक ही सीमित है । भू प्रबंधक के दौरान राजस्व नक्शे मे की गई त्रुटि का सुधार धारा 136 के प्रावधानो मे नही आता विधि विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों एवं तहसीलदार रिपोर्ट की जॉच किये खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू दिनांक 24.06.2016 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम कालाडेरा तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत धारा 136 विशुद्ध रूप से वार्षिक रजिस्टर में होने वाली लिपिकीय भूल/त्रुटि के सुधार तक ही सीमित मानते हुये भूप्रबंध के दौरान राजस्व नक्शे में की गयी त्रुटि का सुधार धारा 136 के परास में नही आता। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयुपर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को नकल दिनांक 26.08.2016 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांटद्वारा ग्राम कालाडेरा तहसील चौमू

जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर के संबंध में राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि/इन्द्राज को दुरूस्त करवाने बाबत् पेश किया जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2016 को भू प्रबन्ध विभाग के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि का सुधार धारा 136 के परास में नहीं मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की ऑडरशीट का अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु नियत थी किन्तु इसकी पूर्ति किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों एवं बिना गुणावगुण पर निर्णय किये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश दिया है जो उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश खारिज किया जाना उचित समक्षते हैं।

<u>अतः आदेश है किः</u> अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 24.06.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर तथ्यों के आधार पर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।